AUDYOGIK KSHETR MEIN KAARYARAT MAHILO SHARAMIKON KEE STHITI SUDHAAR HETU SAMAJIK SURAKSHA KALYANKAARI NEETIYAAN EVAN KAARYAKARAM KA SAMAJSHASTREY ADHYAYAN

vk|kfxd {k= e: dk;jr efgyk Jfedk dh fLFkfr l/kkj gr| lkekftd lj{kk% कल्याणकारी नीतियां एवं कार्यकम का समाजशास्त्रीय अध्ययन

ljUn[1], Mk dYiukFk flg ;kno[2]

[1]शोध छात्र,समाजशास्त्र, [2], lkfl,V ikQlj,समाजशास्त्र विभाग,

[1,2]राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर,उधम सिंह नगर,उत्तराखण्ड

==

सारांशk & भारतीय सामाजिक ढाँचा समाज में पुरूश और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाओं को निर्धारित करता हैं। प्रत्येक समाजों में महिलाओं का स्तर पुरूशों के समान नही हैं। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरूशों को अधिक अधिकार, संसाधन और निणर्य करने की भाक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाओं सौंपी गई हैं, जिनमें माता, पत्नी बनाम गृहणी, रसोइया और बच्चों की देखभाल करने वाली आदि। समान भौक्षिक योग्यता, समान पद के बावजूद, समाज में महिलाओं की स्थिति स्वयं उजागर करता हैं। साथ ही महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सिलसिला समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का घोतक हैं। असमान स्तर के कारण उन्हें भाारीरिक एवं मानसिक हिंसा से पीड़ित होना पड़ता हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी घर के मुख्य निर्णयों की जिम्मेदारी उन्हें नही सौंपी जाती हैं। यद्यापि निर्णय करने वाले निकायों और राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई हैं, तथापि इन स्थितियों में अब भी महिलाओं का फीसदी कम हैं। फिर भी महिलाओं द्धारा अवैतनिक घर के काम को आँका जाता हैं। एक पत्रिका के अनुसार महिलाएं सारी दुनिया में किए गए काम के घण्टों में 60 फीसदी से अधिक का योगदान देती हैं। जबकि उन्हें दुनिया की कुल आय का मात्र 10 फीसदी प्राप्त होता हैं। किसी भी समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरूश दोनों की सहभागिता महत्वपूर्ण हैं।

परन्तु यह एक विडम्बना ही हैं कि समाज में स्त्री को बराबरी का दर्जा कभी प्राप्त हुआ हो। xUukj feMy ने कहा कि ''यदि समाज में गरीबी पर विजय प्राप्त करनी हैं तो यहां से असमानता को हटाना होगा। हमारे राश्ट्र में पितृसत्तात्मक एंव रूढ़िवादिता होने के कारण महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता हैं। उनकी कार्य के क्षेत्र में, वेतन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में एंव प्रस्थिति के क्षेत्र में निम्न स्थान प्राप्त हैं।'' स्वतत्रंता प्राप्ति के बाद सरकार द्धारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई। तभी आज राश्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, और व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाएं अपने गुण और योग्यता के दम पर बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार देखने को नही मिलता हैं।

==

मुख्य शkCn & lkekftd <kpk] efgyk vkj i:"k dh Hkfedk,] efgyk mRihMu] dk;LFky ij ;kSu mRihMu] vofrfud dk;] foMEcuk] 0;olkf;d {k=] **सहभागिता, गुण और योग्यता,** शkkjhfjd o ekufld fglk] llk/ku vkj fu.k;] leku 0;ogkj] xg.kh] ;ktuk,] vk;] vkfFkd ,o jktuhfr {k=] ijEijkxr Hkfedk,A

==

vo/kkj.kk & भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाऐं अग्रणी भूमिका निभाती हैं, उधोग कार्य और आर्थिक गतिविधियों के दायरे में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। जिसमें श्रमिक महिला संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त होता हैं। महिला श्रमिक को कार्य के दौरान सामाजिक प्रस्थिति का प्रयोग उसके

नैतिक मान्यताएं, सरंस्थानों, मानदण्डों, अभिवृत्तियों, रीति–रिवाजों, पारिवारिक विचारधारा, सामाजीकरण की प्रक्रिया, लैगिंक श्रम विभाजन और स्व–बोध महत्वपूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक कारक हैं जो कि श्रमिक महिलाओ के रोजगार को प्रभावित करते हैं। महिलाओं के उधम के घटकों में घरेलू उधम, घरेलू हस्त कार्य, क्रियाकलापों पर आधारित वैतनिक ओर अवैतनिक उधम, पारिवारिक उधम अथवा व्यापार और घर के बाहर के वैतनिक उधम सम्मिलित हैं। विभिन्न कार्यो में पुरूशों और महिलाओं के परिवार के अंतर्गत परिणामात्मक और गुणात्मक रूप से उधम में भाग लेने में अंतर होता हैं। जिस प्रकार का उधम महिलाएं करती हैं, उसका निर्धारण समाज में महिलाओं की स्थिति तथा परिवार की समाज में प्रतिश्ठा के अनुसार किया जाता हैं।

यदि काम की परिस्थिति अस्वच्छ, नीरं एंव कोलाहलपूर्ण होगी तो श्रमिक अधिक काम करने में समर्थ नही होगा। काम करने की परिस्थिति का सन्तोशप्रद न होना केवल कार्यक्षमता अथवा स्वास्थ्य को ही नही बल्कि उनके वेतन, प्रवासी प्रवृत्ति, औधोगिक संबधों को भी प्रभावित करता हैं। श्रमिकों के लिए उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करके औधोगिक संबधों को भी सुधारा जा सकता हैं। श्रमिक काम के लिए तत्पर इच्छुक होगें तो उत्पादन की मात्रा कही अधिक होगी। समाज के हित भी इसी बात में कि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य व सन्तोशजनक कार्य परिस्थिति उपलब्ध की जाएं। काम के हालात ऐसी होनी चाहिए, जिससे श्रमिक के जीवन पर काम करने का दवाब न पड़े, उनके काम की नीरसता एंव थकान का न हो तथा जिसके परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। इससे श्रम भाक्ति के मजबूत होने के साथ–साथ उसमें स्थायित्व की भी वृद्दि होगी जो आधुनिक उधोगों की उन्नति के लिये उनकी महत्वपूर्ण भार्त हैं। विभिन्न कालो से महिलाओं की बढ़ती समस्याओं एंव उत्पीड़न के कारण को देखते हुए 19 वीं भाताब्दी के प्रारंभ से ही स्त्रियों की दयनीय स्थिति को ठीक करने की चेतना पर जोर दिया जा रहा हैं। dV feyV ने कहा कि ''हमारा समाज पितृसत्तात्मक है यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उद्योग, प्रौद्योगिक, राजनीति, कार्यालय, वित हस्तक्षेप में, समाज में, बल के सभी अंगों में, पुलिस दमनकारी बल सहित सभी कुछ पूर्णतः पुरूषों के हाथ में हैं।''

प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक अनेक सामाजिक सुधारक आन्दोलनों महिलाओ की स्थिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। Mk jk/kkdey e[kth ने एक स्थान पर लिखा है कि प्राचीन काल में महिलाओं को कपड़ा रगनें, टोकरी बनाने इत्यादि उद्योगों में मजदूरी पर लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी कारखानों में कपड़ा बुनने तथा सूत कातने के लिए भी मजदूरी पर लगाया जाता था। आज स्त्रियों को घर के बाहर काम–धन्धों के अवसर प्रदान किए। मालिकों को भी स्त्री–श्रम सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाता था, फलस्वरूप स्त्री मजदूरों की माँग दिन पर दिन बढ़ती गयी। भारतीय नारी परिवार तोड़कर स्वतंत्रता व भाक्ति को प्राप्त करने के लिए तत्पर नही हैं। इसी कारण वह व्यवसाय के माध्यम से ज्ञान, सूचना व आर्थिक आधार प्राप्त करके भी गृहस्थ जीवन के भावनात्मक व सम्बंधात्मक परिधियों में बंधी हैं। अतः गृहस्थ कार्य भार को बिना त्यागे भारतीय नारी ने घर के बाहर व्यवसायिक कार्य को भी अपनाया हैं। उसकी भूमिकाओं के विस्तार ने उस पर दोहरे भार थोपे हैं। सामजस्य व समझौते की परिस्थितियों में प्रायः नारी ने स्वः की बलि देनी पड़ती हैं। यहां तक 19वीं सदी में मजदूर स्त्रियों का श्रम का महत्व बहुत अधिक हो गया।

धीरे–धीरे सभी राश्ट्र में आज रूस में 45 फीसदी, अमेरिका में 33 फीसदी, जर्मनी में 36 फीसदी, पोलैंड में 44 फीसदी तथा भारत में 24.5 फीसदी मजदूर स्त्रियां कार्य कर रही हैं। /;kuh],l0],u0]¼1961½, ने अपनी पुस्तक ^^Hkkjrh; Je l?kk d dkuu vkj vk/kkfxd lc/k^^ में भारत में श्रम काननू के सबंध में बारे में उल्लेख किया और कहा कि श्रम काननू औधोगिक सबंध को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय औधोगिक जगत में औधोगिक सबंधों को अधिक महत्व देते हैं यदि सबंध ठीक और मधुर होते हैं तो उत्पादन में वृद्दि होती हैं, और श्रमिको की काम करने की स्थिति में बढ़ोत्तरी होती हैं, इसके साथ ही श्रमिकों में उत्पादकता बढ़ने एंव मजदूरी में भी वृद्दि होने संभावना लगती हैं। dij]ifeyk]¼1971½] ने अपनी पुस्तक ^^efjt ,.M ofdx oeu bu bfM.;k^^ में कहा कि भारत में आज से कुछ समय पहले तक उन सभी महिलाओं को छोड़कर जिन्हें आर्थिक मजदूरी में कार्य करना पड़ा था। वे ज्यादातर महिलाएं वैतनिक नौकरियों में नही आयी थी। किन्तु पिछले कुछ

वर्शो में बहुत बदल गया है। अब न सिर्फ आर्थिक रूप से निरा”ा महिलाऐं ही वैतनिक नौकरियां करने लगी हैं। बल्कि वे स्त्रियां भी काम करती हैं। जो आज महत्वपूर्ण सामाजिक जीवन जीना चाहती हैं। dkYk lh]lh],y]¼1989½] ने अपने अध्ययन में पाया कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन की योजनाओं एंव कार्यक्रम में महिलाओं में सुधार किया। भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं का अध्ययन किया। जैसे–IRDP, NREP, TRYSEM, RLEGP, आदि के माध्यम से महिलाओं का राश्ट्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। **शर्मा,प्रज्ञा]¼2001½]** ने अपनी पुस्तक **‘‘महिला विकास और सशfDrdj.k^^** में कहा कि महिलाओं का आर्थिक में योगदान बढ़ाने, कार्य करने के साथ उत्पादक मनुश्य एंव राश्ट्र की आर्थिक धारा से जोड़ने में महिला श्रमिक का प्रत्येक क्षेत्र में आगमन और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ऋण सुविधा दे रही हैं जिससे आज औद्योगिकरण के दौर में महिलाएं आगे आ सकें तथा आर्थिक मजबूती के साथ पुरूश समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए अपने परिवार के स्तर को आगे ले जा सके। no]Mk]onuk]¼2012½] ने अपने अध्ययन में कहा कि असंगठित क्षेत्रों के निर्माण कृशि, उद्योग, घरेलू क्षेत्रों में काम में 350 महिलाओं की काम की प्रकृति ओर जेंण्डर आधारित आय में असमानता आदि अन्य समस्याओं का सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया। और बताया कि अधिकतर प्रवासी महिला ही विनिर्माण उद्योगों में कार्यरत हैं। इन महिलाओं की प्रमुख समस्या पुरूशों के समान वेतन न दिये जाने की रही हैं। अवलोकन से यह स्पश्ट हुआ कि इन क्षेत्रों में काम करनी वाली महिलाएं निर्धन और अनपढ़ के कारण इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ekuo fodkl fjiksV]¼2015½] बताती है कि सम्पूर्ण राश्ट्र के कामकाज का 52
फीसदी हिस्सा महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, जबकि पुरूश सिर्फ 48 फीसदी हिस्से को ही सम्पन्न करते है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएँ आधे से अधिक काम का बोझ अपने कन्धों पर उठाती हैं, उन्हें कार्य के दोनों क्षेत्रों में नुकसान ही उठाना पड़ता हैं–चाहे वह भुगतान वाला कार्य हो या फिर गैर–भुगतान वाले कार्यो के प्रतिमान ऐसे होते हैं, जो एक दूसरे पर बल देते हैं। इस प्रकार यह असन्तुलन सामने आता हैं, भुगतान वाले कार्यो में पुरूशों का प्रभुत्व है तथा गैर–भुगतान वाले कार्यो में महिलाओं का। जहां तक भारतीय उद्योग–धंधों में काम करने की परिस्थिति का संबंध हैं, स्थिति सन्तोश जनक नही कही जा सकती हैं। Je tkp lfefr ने विभिन्न उधोगों में काम करने की परिस्थितियों के सर्वेक्षण करने के बाद यह कहा कि भारतीय उधोगों में बड़ी इकाईयों की स्थिति अत्यंत भोचनीय ओर महत्वपूर्ण सुधार की आव” यकता हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर सेवा योजक उदासीन रहते हैं और केवल कानून के अक्षर पालन, न कि भावना की पूर्ति से, सन्तुश्ट हो पाते हैं। परिणाम यह है कि कानून द्वारा निर्दिश्ट सीमा के अन्दर भी यंत्रीकरण से सुरक्षा आदि के नियमों की अवहेलना की जाती हैं। वास्तव में श्रम सम्बंधी जितने भी अधिनियम बने है वे स्वभावतः सामाजिक–अर्थिक कानून हैं। औद्योगिकरण के बाद पूंजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों में स्त्री का भोशण किया गया हैं। भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए बनाये गये कानूनी प्रयास और कल्याणकारी नीतियां जो निम्न हैं।

Û deZpkjh {kfriwfrZ vf/kfu;e ¼1923½ भारत में सामाजिक सुरक्षा की भुरूआत 1923 में हुई जब श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल कारखानों और दूसरे उधोगों में श्रमिक आते है।

Û dkj[kkuk vf/kfu;e ¼1948½ dk iko/kku & फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम) 1948 का सेक” ान (खण्ड) 22(2) के अनुसार किसी भी महिला को मूल गति उत्पादक सफाई, समायोजित करने की अनुमति नही होगी जब प्राइम मूवर यंत्रीकरण गति में होता हैं, यदि सफाई या समायोजन के कारण महिला को आस–पास की यंत्र से घायल होने का खतरा हो।

Û deZpkjh jkT; chek ;kstuk ¼1948½ vf/kfu;e – यह ऐसे सभी कारखाने पर लागू होता हैं जो 12 महीने चालू रहते हैं जिसमें बिजली का उपयोग किया जाता हैं। 20 तथा उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। इसका

लाभ 1600 रूपये महिने का श्रमिकों को वेतन दिया जाना चाहिए। सामाजिक बीमें की इस योजना के अन्तर्गत बीमित महिला को 5 प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं –

1–बीमारी लाभ, 2–मातृत्व लाभ, 3–असमर्थता लाभ, 4–श्रमिकों पर आश्रित व्यक्तियों हेतु लाभ। Û ekrRo ykHk – भारत के सभी राज्यों में मातृत्व लाभ देने के कानून लागू किया गया हैं। तीन केन्द्रीय अधिनियम–खान मातृत्व लाभ अधिनियम 1941, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तथा बागान मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अन्तर्गत मातृत्व लाभ देने की व्यवस्था की गयी हैं। Û chMh vkj flxkj odj ,DV ¼1966½ की (धारा) 25 के अनुसार किसी भी महिला को 6 बजे सुबह से लेकर भाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा औद्योगिक परिसर में कार्य की अनुमति नही हैं। Û QSDVh ,DV ¼1948½ vf/kfu;e – धारा 27 ,के द्वारा कॉटन प्रेसिंग के लिए जिसमें कॉटन ओपनर काम कर रहे होते हैं, कारखाने के किसी भी भाग में महिला श्रम को प्रतिबन्धित किया गया हैं। Û QSDVh ,DV ¼1948½ vf/kfu;e – धारा 66(1)(बी),के अनुसार किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में 6 बजे सुबह से लेकर भाम 7 बजे के बीच के समय के अतिरिक्त कार्य करने की अनुमति नही हैं। Û efgykvks dk dk;LFky ij ;kSu mRihMu vf/kfu;e]¼2013½ महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (संरक्षण, निवारण एवं समाधान) अधिनियम इस लक्ष्य से पारित किया गया कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया जा सके तथा यौन उत्पीड़न उससे सम्बन्धित मामलों की अपील करने वाली महिलाओं को संरक्षण देने तथा निवारण के उपाय करना और महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना। 2013 में भारत की संसद ने भारतीय दण्ड संहिता में धारा (354ए)के प्रावधान को जोड़कर यौन उत्पीड़न को एक अपराध का कृत्य माना।

Ekfgyk,a vkj iapo"kh; ;kstuk,a

• f}rh; iapo"kh; ;kstuk ¼1956&61½ की मुख्य बात यह है कि इनमें महिला मंडलों को प्रोत्साहित किया गया कि वे जमीनी स्तर पर कार्य करें जिससे कि कल्याणकारी लक्ष्यों की प्रगति हो सके, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना। आय और संपत्ति में असमानता घटाना था।

• pkSFkh iapo"kh; ;kstuk ¼1969&74½ इस योजना के तहत समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को प्रेरित करना था जिससे जीवन स्तर को अच्छा हो सके।

• ikapoh iapo"kh; ;kstuk ¼1974&79½ इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया कि स्त्री की भूमिका पर ध्यान दिया गया कि वह राश्ट्र विकास में किस प्रकार उपयोगी होगी। यह एक नवीन समन्वयात्मक उपागम था कल्याण और विकास की अवधारणा के मध्य के रूप में था।

• lkroh ;kstuk ¼1985&90½ महिला विकास का कार्यक्रम वैसा ही चलता रहेगा पर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इस तरह का बदलाव लाया जाए जिससे कि वे राश्ट्र की मुख्य विकास की धारा में भाामिल हो सके महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक–सामाजिक स्थिति बेहतर हो सके।

• ukSoh ;kstuk ¼1997&2002½ यह योजना का लक्ष्य सभी स्तरों की महिलाओं को विकास के कार्यक्रम से जोड़ना था। महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अधिकार संपन्न बनाया जाए।

• nloh ;kstuk ¼2002&2007½ इस योजना में लाभ सभी स्त्री–पुरूश को समान रूप से प्राप्त हो। नौकरी के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हो इसके साथ ही पिछड़े, दलित और निर्धन महिला को लाभ प्राप्त हो सके। महिला श्रमिक के भाोशण की जिम्मेदारी हमारे समाज की देन है। महिला श्रमिकों का आर्थिक और भाारीरिक भाोशण प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता हैं। इन उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन के लक्ष्य इस प्रकार हैं।

1– औधोगिक क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2– औधोगिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों पर पंचबर्शीय योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करना ।

3– महिला श्रमिकों की औधोगिक क्षेत्र में सरकारी–गैर सरकारी कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न अधिनियमों का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन की वैज्ञानिकता बनाये रखने के लिए अन्वेशणात्मक तथा वर्णनात्मक भाोध का प्रयोग किया हैं। अन्वेशणात्मक भाोध का संबंध प्राथमिक अनुसंधान से है जो कि भाोधार्थी समस्या के विशय में प्राथमिक सूचनायें प्राप्त करके भावी अध्ययन की आधासंरचना तैयार करता हैं। वर्णनात्मक भाोध का लक्ष्य विशय या समस्या के संबधं में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके जानकारी प्राप्त होती हैं। इस नगर में स्थिति चार सिडकुल में महिला श्रमिकों की 32 महिलाओ का चुनाव लॉटरी विधि का प्रयोग किया गया जाना हैं। आधुनिकता के प्रभाव के कारण भारत की सामाजिक संरचना में परिर्वतन हुआ हैं स्त्रियों की पूर्व की स्थिति और परिस्थितियों में अब परिर्वतन हो रहा हैं।

वर्तमान समय में महिला श्रमिकों के स्वरूप में जो परिवर्तन आने लगा है, वास्तव में आज में होने वाले वैधानिक स्तर परिवर्तनों से हैं जो आधुनिक औद्योगिकरण में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अध्ययन के द्वारा निम्न महिला श्रमिकों की वैधानिक स्तर का अध्ययन किया जा सकता हैं। अध्ययन में 32 महिला श्रमिकों में से वैधानिक स्तर के लाभों का अध्ययन निम्न हैं –

mRrjnkrkvk dk o/kkfud Lrj
rkfydk & 1-0

d0l0	mRrjnkrkvk dk o/kkfud Lrj	vkofRr	प्रतिश्kr
01	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	18	21
02	कारखाना अधिनियम 1948	11	68
03	मातृत्व लाभ अधिनियम 1961	03	11
	;kx	32	100

अध्ययन से ज्ञात होता है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम (1923) महिला श्रमिकों 21 फीसदी, कारखाना अधिनियम (1948) 68 फीसदी तथा 11 फीसदी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ।

हमारे राश्ट्र में जनसंख्यिकी एवं स्वास्थ्य का स्तर एक गम्भीर विशय बना रहा हैं। महिलाओं के जीवन स्वास्थ्य एवं श्रमिकों की भाक्ति को उन्नत प्रयास किये गये हैं। फिर भी महिला श्रमिकों की बेहद नाजुक दिखाई पड़ती हैं।

8

अध्ययन में 32 महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य स्तर का अध्ययन किया गया जिसमें महिला के स्वास्थ्य पर प्रभावो का दृश्टिकोण देखा गया जो इस प्रकार हैं –

mRrjnkrkvk dk LokLF; Lrj
rkfydk & 1-2

d0 l0	mRrjnkrkvk dk LokLF; Lrj	vkofRr	प्रतिशत
01	उत्तम स्वास्थ्य	04	07
02	सामान्य स्वास्थ्य	19	77
03	असन्तोशजनक	09	16
	कुल योग	32	100

अध्ययन से स्पश्ट होता हैं। कि उत्तम स्वास्थ्य में 07 फीसदी, सामान्य स्वास्थ्य में 77 फीसदी तथा असन्तोशजनक में 16 फीसदी महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर देखा गया।

fu"d"k

आधुनिक समाज में निजी एवं सार्वजनिक रूप से भी लिंग के आधार पर द्विविभाजन पाया जाता हैं। आजकल के समाज महिलाओं एवं पुरूशों दोनों में प्रत्येक क्षेत्र में जैसे–कार्य क्षेत्र, कार्य का वेतन, निर्णय क्षमता, नेतृत्व की क्षमता आदि सभी में भेदभाव किया जाता हैं। प्रत्येक समाज में महिलाओं के लिए अलग से व्यवहार प्रतिमानों की रचना की गई हैं। जब बात महिला उत्पड़ीन की उठती है तो अनेक सुझाव मानस में मंडराने लगते हैं, किन्तु बात अटक आती हैं उनके कार्यान्वयन के बिन्दु पर होती हैं। कानून आज पर्याप्त हैं, किन्तु रूढ़िवादिता, अनपढ़, पिछड़ेपन के कारण उनके क्रियान्वयन में दिक्कत होती हैं। अपने वैधानिक सुरक्षा के लिए जब महिला किसी वकील के पास जाती हैं, तो पुरूश प्रधान समाज स्त्री को ही दोशी मानता हैं। वह उसे गुमराह करते हैं वरन् उसका भाोशण भी करता हैं। मानव समाज के आरंभ से ही स्त्रियां पारिवारिक व आर्थिक गतिविधियों मे भाग लेती रही हैं। घरेलू कामों के साथ, कृशि, और कुटीर उधोगों में हाथ बटाकर वे घर बाहर दोनों क्षेत्र संभालती हुई परिवार के लिए सामाजिक–आर्थिक आधार प्रस्तुत करती हैं। औधोगिक क्रांति के आगमन से कुटीर उधोगों को गहरा आघात पहुंचा। तब एक बड़ी संख्या में स्त्रियों को घरों से निकलकर कल–कारखानों में मजदूरी करनी पड़ी। तकनीकी क्रांति के बाद संगठित क्षेत्र और बाजार के साथ स्त्री मजदूरों की संख्या में गिरावट आ गयी हैं। 21वीं सदी में कदम रख रहे हैं, किन्तु आज भी महिला का ज्ञान फीसदी बहुत ही कम हैं। अतः इस समस्या का समाधान भी समाज ही कर सकता हैं। समाज ने समस्या के समाधान के मार्ग में कार्य आरंभ किया। आजादी के बाद महिलाओं की परिस्थिति में और भी परिवर्तन आया। संविधान में महिलाओं को पुरूशों के समान अधिकार दिया गये, जिसके चलते वे पुरूशों की सहभागी बनकर कार्य करने लगी, उन्हे कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अवसर मिल रहे हैं। महिला श्रमिकों को सम्पत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता है।

lUnHk & xFk lph

1. मुखर्जी,आर0के0,(1945). इण्डिया वर्किंग क्लास,पब्लिसिंग हिन्द किताब,बम्बई,पेज संख्या. 248 ।
2. मुखर्जी,आर,के0,(1945).लेबर एण्ड प्लांनिग,हिन्दू बुक मुम्बई, पेज न0.305।
3. ध्यानी,एस0,एन0,(1961).इडियन ट्रेड यूनियन लॉज एण्ड इण्डस्ट्रियल सम्बंध,इण्डियन जर्नरल ऑफ लेबर इकोनामिक्स,पेज न0.106–109।
4. कपूर,प्रेमिला,(1971). मैरिज एण्ड वर्किंग वूमेन इन इण्डिया ,विकासपुरा ,नई दिल्ली, पृश्ठ संख्या. 4 ।
5. कालसी,सी,एल,(1989), इम्पॉलमेंट ऑफ रूरल वूमेन इन अनऑरजनाईड सेक्टर,कुरूक्षेत्र,वॉल्यूम,37,पृश्ठ संख्या.10।
6. एस,प्रज्ञा,(2001).महिला विकास और स" ाक्तिकरण,पोइन्टर पब्लिसिंग जयपुर,पृश्ठ संख्या.20–23।
7. देव,डॉ,वंदना,(2012). '' वूमेन वर्कस इप अनआरॅनाइड सेक्टर '' वूमेन लिंक,वॉल्यूम ,18,नम्बर.
8. अन्तराश्ट्रीय जेंडर अन्तराल रिपोर्ट ,(2014)।
9. मानव विकास रिपोर्ट, (2015)।

Lkk{kkRdkj & vu|l|ph

^^vk|kfxd {k= e dk;jr efgyk Jfedk dh fLFkfr l|/kkj gr| lkekftd l|j{kk% dY;k.kdkjh uhfr;k ,o कार्यकम का समाजशkkL=h; v/;;u^^

1.0 उत्तरदाताओ की सामाजिक सुधार एवं कल्याणकारी नीतियों की पृश्ठभूमि

1.01 क्या आपको सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों से लाभ हुआ हैं ?
हाँ / नही / कुछ कह नही सकते

1.02 क्या आपको कारखानों के अधिनियमों की जानकारी हैं ?
हाँ / नही

1.03 क्या आपको सरकार द्वारा चलाई योजनाओं से लाभ हुआ हैं ?
हाँ / नही / तटस्थ

1.04 क्या आपको सरकार द्वारा चलाई गयी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी हैं।
हाँ / नही / कुछ कह नही सकते

1.05 उधोगों में बदलती तकनीकी ने आपको के रोजगार को प्रभावित किया हैं।
हाँ / नही / कुछ कह नही सकते

1.06 आपका स्वास्थ्य स्तर कैसा रहता हैं ?
उत्तम स्वास्थ्य / सामान्य स्वास्थ्य / असंतोशजनक स्वास्थ्य

1.07 आपको वैधानिक स्तरों में से किस अधिनियम से लाभ मिला हैं।
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 / कारखाना अधिनियम 1948 / मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ।